रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 432] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 6, 2015/आषाढ़ 15, 1937
No. 432] NEW DELHI, MONDAY, JULY 6, 2015/ASHADHA 15, 1937

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 जून, 2015

सा.का.नि. 539(अ).—केन्द्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 3क की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1.(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलैक्ट्रानिक हस्ताक्षर या इलैक्ट्रानिक प्राधिकरण तकनीकी और प्रक्रिया (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये उनके राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की दूसरी अनुसूची में स्तंभ (3) के अधीन मद (ख) में "हार्डवेयर सिक्योरिटी मॉड्यूल (एच एस एम) पर " शब्दों का लोप किया जाएगा।

[फा. सं. सीसीए/डीसी(टी)/2014-99]
तपन राय, अपर सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि 61 (अ) तारीख, 27 जनवरी, 2015 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY

(Department of Electronics and Information Technology)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th June, 2015

G.S.R. 539(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 3A of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Second Schedule to the said Act, namely:—

1. (1) These rules may be called the Electronic Signature or Electronic Authentication Technique and Procedure (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), in the Second Schedule, under column number (3), in item (b), the words "on hardware security module" shall be omitted.

[No. CCA/DC (T)/2014-99]
TAPAN RAY, Additional Secy.

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, and Section 3, Sub-section (i), vide notification number G.S.R. 61(E), dated the 27th January, 2015.

IndiaCode

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.